प्रकरण संख्या 13/2020 श्रीमती मेराज बेगम बनाम आरिफ खां व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट मृतक दिनेश ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के ताउ मृतक सरदार पुत्र नुरखां निवासी अरथुना के खाते एवं कब्जे की भूमि गांव नवागांव, तहसील गढ़ी में स्थित है, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर खाता संख्या नया 60 पुरानी 58 कुल खेत 10 रकबा 1.43 हैक्टर एवं गांव अरथुना के खाता संख्या नया 325 पुरानी 315 कुल खेत 4 रकबा 0.44 हैक्टर के एक मात्र स्वामी वादीगण के पिता के भाई के खाते की होकर सरदार जी लाऔलाद फोत हो गये तथा मरने से पूर्व अपनी सम्पूर्ण भूमि अपने भाई सत्तर खां के पक्ष में दिनांक 06.05.1985 को निष्पादित कर दी तब से वादीगण मालिक काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादीया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने आपको सरदार खां की पुत्री बताकर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया, जबकि सरदार खां के कोई पुत्री नहीं है। प्रतिवादिया मोहम्मद सिद्धिक की पुत्री है। वादीगण का 25–30 वर्षो से शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में धारा 63 (2) के अनुसार प्रतिवादीया के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादिया का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] सिंह [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.10.2020 को सुबह 11 बजे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 व उनके प्रतिनिधि आराजी नंबर 232, 234 पर अनाधिकृत प्रवेश कर भूमि को जे.सी.बी. से समतल करने लगे तथा बताया कि यह भूमि उन्होंने दिनांक 22.09.2020 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट मेराज बी को उपस्थित होने बाबत् जो नोटिस जारी किया, उसमें कांट–छांट कर लेने से इंकार किया अंकित किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा नोटिस लेने से कभी भी इंकार नहीं किया गया है। अपीलान्ट के पति शकील मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 09.05.2014 को हो गयी तथा मुस्लिम व शरियत कानून के तहत मृतक की विधवा को 6 माह तक इदत्त में घर के अन्दर एकान्त में रहना पड़ता है। अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 30.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये, उस वक्त वह इदत्त में थी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अपीलान्ट अपने पिता खातेदार सरदार खां की एकमात्र जीवित व विधिक उत्तराधिकारी होने से भूमियां उसके नाम दर्ज हुई हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए उसे खातेदार घोषित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श 2 व प्रदर्श 6 अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादीया विवादित आराजियात की खातेदार दर्ज है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उसके विरूद्ध दिनांक 30.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने उसके खातेदारी की भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 34/2013 निर्णय एवं डिक्री 12.05.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीया को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested